



2026:AHC:7249

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18594 का 2025

डॉ. तैयब अंसारी

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : उमा नाथ पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

संशोधन आवेदन संख्या 2 वर्ष 2026 का स्वतः संज्ञान

1. संशोधन आवेदन के माध्यम से, दिनांक 17.12.2025 के आदेश में संशोधन की मांग की गई है। पैरा-5, के 8वीं पंक्ति में, 'प्रमुख' शब्द को 'होना' शब्द के साथ प्रतिस्थापित करते हुए हटा दिया जाना चाहिए।
2. तदनुसार संशोधन आवेदन को स्वीकार की जाती है।

जनवरी 12, 2026

एन.एस.राठौर

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।